राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या–4951 / 2019

आदेश दिनांकः– **24.05.2022**

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

उपस्थितः–

अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी :– श्री अभिषेक बी.शर्मा
अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी :– श्री अतुल कुमार जैन

प्रार्थना पत्र संख्या–02 / 2021, 01 / 2022, 02 / 2022 व 03 / 2022 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 सी.पी.सी. व धारा–5 मियाद अधिनियम मृतक प्रत्यर्थी संख्या –2 कैलाश चन्द, जिसकी मृत्यु दिनांक 06.05.2021 को होना बताया गया है, के विधिक प्रतिनिधिगण को अभिलेख पर लेने, उपशमन अपास्त करने व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किए गए हैं ।

सुना गया ।

धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व कारणों को दृष्टिगत रखते हुए व विलम्ब की अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व 9 सी.पी.सी. प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 सी.पी.सी. स्वीकार करते हुए उपशमन अपास्त किया जाता है व प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. में अंकित तथ्यों व कारणों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मृतक प्रत्यर्थी संख्या – 2 कैलाश चन्द के विधिक प्रतिनिधिगण को अभिलेख पर लिया जाता है ।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी को संशोधित वादशीर्षक प्रस्तुत करने हेतु दो सप्ताह का समय दिया जाता है ।

प्रार्थना पत्र संख्या –01/2021 व 03/2021 की सुनवायी अपील के साथ ही किए जाने के आदेश दिए जाते हैं ।

यह अपील अभिलेख के साथ वास्ते ग्रहणार्थ दिनांक 07.07.2022 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे ।

(न्या0 प्रकाश गुप्ता)

ऋषिकेश सोनी/59